

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2020-21/13779

दिनांक : 17/8/2020

दिशा-निर्देश

(सत्र 2020-21)

रीडर भत्ता (Reader Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य :-

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2020-21 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत दृष्टिदोष से प्रभावित बालक-बालिकाओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance) देय होता है। सत्र 2020-21 में रीडर भत्ता (Reader Allowance) उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:-

- **श्रेणी :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता में से दृष्टिदोष (Blindness and Low Vision) से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance) देय है।
- **पात्रता :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित विकलांगता में से दृष्टिबाधित (Blindness and Low Vision) श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित बालक-बालिकाओं को जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन्हें रीडर भत्ता (Reader Allowance) देय होगा।
- **अवधि :-** 10 माह के लिए
- **राशि :-** ₹250/-प्रति माह
- रीडर भत्ता (Reader Allowance) प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह अगस्त, 2020 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1. डीपीसी	—	अध्यक्ष
2. एडीपीसी	—	सदस्य सचिव
3. एपीसी/पीओ (समावेशित शिक्षा)	—	सदस्य
4. सहायक लेखाधिकारी	—	सदस्य
5. संदर्भ व्यक्ति (CWSN)	—	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बालक-बालिकाओं का चयन कर रीडर भत्ता (Reader Allowance) जारी किए जाने की अनुशंसा करेगी।
- समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक-बालिकाओं हेतु निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक-बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाना है।
सितम्बर, 2020	कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माह निर्धारण किया जायेगा।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालक-बालिकाओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance) की राशि प्राप्त हो रही है, उन बालक-बालिकाओं को यह राशि देय नहीं होगी।
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशित शिक्षा की उपमद "Reader Allowance" में आवंटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक-बालिकाओं की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :-

- जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र बालिका-बालिकाओं को लाभ मिल सके।
- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance) दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालक-बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नहीं हो पाता है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशित शिक्षा अनुभाग को भिजवाएँ।
- रीडर भत्ता (Reader Allowance) मद में जिले को आवंटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- रीडर भत्ता (Reader Allowance) का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक-बालिका के बैंक खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बन्धित बालक-बालिकाओं के बैंक खाते में रीडर भत्ता (Reader Allowance) जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।

- समस्त व्यवस्था पात्र बालक-बालिका/संरक्षकों की सहमति से व एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- पात्र CWSN बालक-बालिकाओं की तथा उनको देय रीडर भत्ता (Reader Allowance) की सूचना पीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालक-बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद रीडर भत्ता (Reader Allowance) वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले रीडर भत्ता (Reader Allowance) की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी।

➤ लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
 2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- नोट:-गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

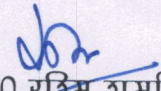


(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त
आयुक्त, रास्कूशिप एवं
आयुक्त, स्कूल शिक्षा
दिनांक 17/8/2020

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/20-21/13773

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11. रक्षित पत्रावली।

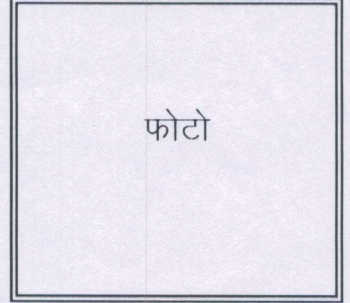


(डॉ० रवि शर्मा)
अति० राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

रीडर भत्ता (Reader Allowance) हेतु आवेदन पत्र

1. नाम बालक/बालिका.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्म तिथि..... कक्षा.....
4. स्थानीय पता.....
5. एस.आर. न0..... दोष का प्रकार एवं प्रतिशत.....
6. नोडल..... ब्लॉक.....
7. विद्यालय..... डाईस कोड.....
8. घर से विद्यालय की दूरी.....
9. आधार कार्ड नम्बर.....
10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र.....
11. खाता संख्या..... IFSC Code.....
12. बैंक का नाम.....
13. क्या बालक-बालिका का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है.....



हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र/छात्रा

5

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं बालक/बालिका..... उक्त विद्यालय की कक्षा.....में अध्ययनरत है तथा उक्त बालक/बालिका को रीडर भत्ते हेतु ₹.....प्रतिमाह भत्ते प्रदान किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री श्री.....विद्यालय.....को रीडर भत्ता ₹ प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित.....

५

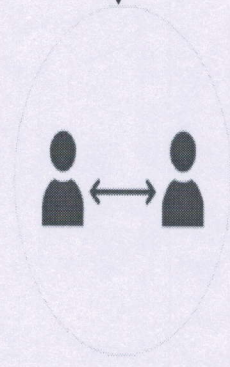
कोरोना के बचाव के उपाय अपनायें



बार बार
हाथ धोयें



मास्क पहन
कर बाहर जायें



2 गज की दूरी
बनायें रखें

6